कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./निःशुल्क सत्यापित प्रवेश/18878/12–13/122 दिनांकः–14.5.13

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारंभिक/माध्यमिक)
....

विषयः–शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश कार्य की तैयारी एवं सत्यापन के संबंध में।

प्रसगः–इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./युनिट कॉस्ट/18882/12–13/22 दिनांक 20.03.13 एवं शिक्षा अधिकारियों की बैठक दिनांक 10.04.13 में प्रमुख शासन सचिव महोद्या द्वारा दिए गये निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक 22 दिनांक 20.03.13 में आपको अपने जिले में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों की सूची तैयार कर शत प्रतिशत विद्यालयों से प्रपत्र 13 में टाईम फ्रेम, प्रवेश नीति , निशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीटों की संख्या तथा संबंधित विद्यालय में एन्टरी लेवल कक्षा में लिये जाने वाले शुल्क का विवरण प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में संधारित करने के निर्देश दिये गये थे, आपने अब तक अपने जिले की ब्लॉकवार (प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में) उक्त सूचनाएं संकलित कर संधारित कर ली होगी। जिले की ब्लॉकवार समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में 16 मई 2013 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आप बीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले में, समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में, उनके द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये टाईम फ्रेम के अनुसार तथा उनके द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु घोषित सभी सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश दे दिया जाय।

जिन गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जा चुके हैं उनमें भौतिक सत्यापन का कार्य अविलंब प्रारम्भ कर दें। सत्यापन कार्य हेतु आप जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से समन्वय स्थापित करते हुए पहले जिले के समस्त प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के गैर सरकारी विद्यालयों की तत्काल सूची तैयार कर कर लें। तत्पश्चात् निरीक्षण दलों का गठन कर लें। प्रारंभिक शिक्षा के गैर सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण हेतु गठित दल में एक राजपत्रित अधिकारी(बी.ईईओ/एबी. ईईओ), एक प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) व एक अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षा के गैर सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण हेतु गठित दल में एक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, एक व्याख्याता/ वरिष्ठ अध्यापक तथा एक वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक सम्मिलित होगा। सभी निरीक्षण दलों को उन के द्वारा किये जाने वाले भौतिक सत्यापन वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवा दी जाये। निरीक्षण दलों को स्पष्ट निर्देश दे दिये जायें कि निरीक्षण के दौरान गैर सरकारी विद्यालयों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाये तथा निरीक्षण के पूर्व गैर सरकारी विद्यालयों को भी पाबंद करदें कि वे निरीक्षण दलों द्वारा चाहे जाने पर निरीक्षण से संबंधित समस्त रिकॉर्ड उन्हे उपलब्ध करवायें। निरीक्षण के समय निरीक्षण दलों द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का सत्यापन किया जायगा :–

1. विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं।
2. संस्था ने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए प्रपत्र 13 में टाईम फ्रेम जारी किया अथवा नहीं ।
3. संस्था ने प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों की घोषणा की अथवा नहीं।
4. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए संस्था ने पर्याप्त प्रचार प्रसार किया या नहीं।
5. संस्था ने निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जारी करने, आवेदन पत्र वापिस लेने, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन(आवश्यक होने पर लॉटरी द्वारा) टाईम फ्रेम में घोषित तिथियों के अनुसार किया या नहीं।

6. निःशुल्क शिक्षा हेतु संस्था ने प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का चयन अभिभावकों,प्रबन्ध समिति के सदस्यों व विभागीय प्रतिनिधि/जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में किया या नहीं।
7. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक राज्य सरकार द्वारा जारी F21(19)Edu.EE/2009/ दिनांक 29.03.11 में परिभाषित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूहों से ही संबंधित है।
8. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 10(3) में उल्लेखित आस पास के क्षेत्र से ही हैं
9. निःशुल्क प्रवेशित बालकों द्वारा दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये एवं प्रवेश तिथि से पूर्व जारी किये गए हैं।
10. संस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा में कितना शुल्क लिया जा रहा है (रशीद बुक एवं कैश बुक से पुष्टि करें)
11. संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों से किसी तरह का शुल्क तथा पाठ्य पुस्तकों की किमत तो नहीं वसूली जा रही।
12. निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को अन्य बालकों से अलग बैठाने अथवा एक्ट में उन्हें प्रदत्त देयताओं से वंचित तो नहीं किया जा रहा।
13. निरीक्षण के समय कक्षा में कुल बालकों की संख्या तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की उपस्थिति।
14. कोई अन्य तथ्य जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे।

निरीक्षण दल द्वारा देखे गये प्रत्येक रिकॉर्ड पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणित किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर संबंधित संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक द्वारा दिनांक व विद्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर लिए जायेगें। निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय से लिए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज पर विद्यालय की प्रधानाध्यापक/प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जायेगें तथा निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा भी उस पर हस्ताक्षर किये जायेगे। भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रपत्र संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

13/5

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल, जयपुर को सूचनार्थ एवं एस.एस.ए की वेबसाइट पर ऑनलाईन करवाने बाबत्।
3. उपनिदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.............................को सूचनार्थ एवं अधीनस्थ कार्यालयों से अनुपालना करवाने बाबत्।
4. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को 7 प्रतियों में प्रकाशनार्थ
5. सिस्टम एनालिस्ट माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन करवाने बाबत्।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

आर.टी.ई. अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रपत्र
(सत्र 2013 –14)

जिला ....ब्लॉक.......................................विधानसभा क्षेत्र...

निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पद स्थापन स्थान

(क) नामः–..पद...........................पद स्थापन स्थानः–..............................

(ख नामः–..पद...........................पद स्थापन स्थानः–..............................

(ग) नामः–..पद...........................पद स्थापन स्थानः–..............................

निरीक्षण की दिनांकः–.......................................

1. विद्यालय का नामः–...
2. मान्यता क्रमांकः–...विद्यालय का डाईस कोड.........................
3. विद्यालय में संचालित कक्षाएंः– कक्षा.............से....................तक
4. विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित बालकों की कुल संख्याः–.................................
5. आर.टी.ई. के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की संख्याः–छात्र.......छात्रा.........योग.................
6. आर.टी.ई. के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों में से निरीक्षण के समय उपस्थित बालकों की संख्याः–छात्र................छात्रा.........................योग.............................
7. क्या संस्था ने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए प्रपत्र 13 में टाईम फ्रेम जारी किया? हां/नहीं
8. क्या संस्था ने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा की? हां/नहीं
9. क्या निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए संस्था ने पर्याप्त प्रचार प्रसार किया? कोई विज्ञप्ति या पेंप्लेट छपवाया हां/नहीं (यदि हां तो प्रति संलग्न करें।)
10. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए विज्ञापित सीटों की संख्या...
11. निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन पत्र जारी करने की दिनांक..............से.....................तक
12. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक...............से...............तक
13. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए संस्था को सही रूप में भरकर वांछित प्रमाण पत्रों सहित प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या........................
14. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए चयन(आवश्यकता होने पर लॉटरी द्वारा) की दिनांक.......
15. क्या संस्था ने निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जारी करने, आवेदन पत्र वापिस लेने, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन(आवश्यक होने पर लॉटरी द्वारा) टाईम फ्रेम में घोषित तिथियों के अनुसार किया? हां/नहीं
16. क्या निःशुल्क शिक्षा हेतु संस्था ने प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का चयन अभिभावकों,प्रबन्ध समिति के सदस्यों व विभागीय प्रतिनिधि/जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में किया? हां/नहीं (यदि हां तो लॉटरी के समय उपस्थित अभिभावकों की संख्या......................)

17. क्या निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक राज्य सरकार द्वारा जारी F21(19)Edu.EE/2009/ दिनांक 29.03.11 में परिभाषित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूहों से ही संबंधित है। हां/नहीं

18. क्या निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के नियम10(3) में उल्लेखित आस पास के क्षेत्र से ही हैं। हां/नहीं (यदि हां तो कितने.................)

19. क्या निःशुल्क प्रवेशित बालकों द्वारा दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होने बाबत् उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये है एवं प्रवेश तिथि से पूर्व जारी किये गये है। हां/नहीं

20. संस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा में कितना शुल्क लिया जा रहा है? (रशीद बुक एवं कैश बुक से पुष्टि करे).

....

21. संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों से किसी तरह का शुल्क तथा पाठ्य पुस्तकों की कीमत वसूली जा रही है। हां/नहीं

22. क्या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को अन्य बालकों से अलग बैठाने अथवा एक्ट में उन्हें प्रदत्त देयताओं से वंचित किये जाने का कोई प्रकरण देखने को मिला है। हां/नहीं

23. कोई अन्य तथ्य जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे।

....

....

24. विद्यालय को निःशुल्क प्रवेशित बालकों के संबंध में प्रति बालक प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निरीक्षण दल का स्पष्ट अभिमत.

1. पुनर्भरण योग्य बालकों की संख्या...
2. पुनर्भरण योग्य नहीं पाये गये बालकों की संख्या मय कारण...

....

3. एन्ट्री लेवल कक्षा के अलावा अन्य कक्षा में आर.टी.ई. एक्ट के तहत् निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे एवं पुनर्भरण योग्य बालकों की संख्या...

हस्ताक्षर संस्था प्रधान/प्रभारी
(दिनांक एवं
विद्यालय की मोहर सहित)

हस्ताक्षर निरीक्षण कर्ता
1..
2..
3..

(नोटः– निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान को प्राप्ति रशीद लेकर उपलब्ध करवाई जायेगी।)